

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,  
सचिव  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 09-11-2013 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत ₹0 27442.00 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-2386/71-1-2013-जी-592/2012, दिनांक 13-12-2013 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। शासनादेश संख्या-1/2017/2107/71-1-2016-जी-592/2012, दिनांक 04-01-2017 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत ₹0 29305.00 लाख स्वीकृत की गई। पुनः शासनादेश संख्या-65/2018/1093/71-1-2018-जी-592/2012, दिनांक 26-03-2018 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत ₹0 ₹0 27441.00 लाख स्वीकृत की गई। उक्त पुनरीक्षित लागत ₹0 27441.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल 20355.08 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र०	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (₹0 लाख में)
1.	2386/71-1-13-जी-592/2012, दिनांक 13-01-2013	1500.00
2.	2484/71-1-14-जी-592/2012, दिनांक 28-08-2014	6818.50
3	57/2822/71-1-14-जी-592/2012, दिनांक 10-12-2014	1060.50
3	1/2017/2107/71-1-16-जी-592/2012, दिनांक 04-01-2017	5000.00
4	65/2018/1093/71-1-18-जी-592/2012, दिनांक 26-03-2018	2500.00
5	66/2018/1214/71-1-18-जी-592/2012, दिनांक 26-03-2018	1272.60
6	98/2018/1299/71-1-18-जी-592/2012, दिनांक 31-03-2018	2203.48
	योग-	20355.08

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/652, दिनांक 07-01-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 50,00,00,000/- (₹0 पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- 1- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 2- प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- 3- प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- 5- प्रयोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत् अनुश्रवण एवं संस्क्रुतियों सहित फीडबैक की प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाय।
- 6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
- 7- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- 8- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
- 9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक एवं परियोजना प्रबन्धक की होगी।
- 11- शासनादेश संख्या-2386/71-1-2013-जी-592/2012, दिनांक 13-12-2013, शासनादेश संख्या-1/2017/2107/71-1-2016-जी-592/2012, दिनांक 04-01-2017 तथा शासनादेश संख्या-65/2018/1093/71-1-2018-जी-592/2012, दिनांक 26-03-2018 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
- 3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-65-मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

( मुकेश कुमार मेश्राम )  
सचिव

संख्या:-05/29(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
- 4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज गोरखपुर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)  
उप सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।